हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 दिसम्बर, 2012

संख्या लैज० 23/2012.—दि हरियाणा प्राइवइट टेक्निकॅल एड्यूकेशॅन इन्स्टिट्यूशॅन (रेगयुलेशॅन ऑव् ॲड्मिशॅन ऐण्ड फी) ऐक्ट, 2012, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 13 दिसम्बर, 2012, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4—क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2012 का हरियाणा अधिनियम संख्या 18

हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2012

हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाये जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश तथा शुल्क के विनियमन के लिए तथा उससे सम्बद्ध या उनसे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2012, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तब संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "सहायताप्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्था" से अभिप्राय है, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण से पूर्ण रूप में या अंशतः सहायता या सहायक अनुदान या सहयोग प्राप्त कर रहे विश्वविद्यालय सहित अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ;

(ख) "समिति" से अभिप्राय है, निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में प्रवेश तथा शुल्क के विनियमन के लिए इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य समिति;

(ग) "सामूहिक प्रवेश परीक्षा" से अभिप्राय है, राज्य सरकार या इसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा, या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाये जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय परीक्षा ;

(घ) "परिषद" से अभिप्राय है, तकनीकी पाठ्यक्रम को विनियमित करने के लिए संसद के किसी अधिनियम के अधीन गठित चाहे किसी भी नाम से समझा जाए, वैधानिक निकाय ;

(ङ) "महानिदेशक" से अभिप्राय है, महानिदेशक तकनीकी शिक्षा, हरियाणा ;

(च) "शुल्क" से अभिप्राय है, अन्य बातों के साथ–साथ प्रवेश शुल्क, शिक्षा शुल्क, विकास प्रभार, परिवहन प्रभार, छात्रावास प्रभार, मेस प्रभार इत्यादि सहित चाहे किसी नाम से भी समझे जाएं, छात्र से निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा प्रभार्य सभी प्रकार का शुल्क ;

(छ) "प्रबन्धन प्रवर्ग" से अभिप्राय है, किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में छात्रों की स्वीकृत भर्ती में से ऐसे स्थानों को समाविष्ट करके, स्थानों का प्रवर्ग जो राज्य सरकार द्वारा, प्रबन्धन के लिए आबंटित किया जाए;

(ज) "अल्पसंख्यक संस्था" से अभिप्राय है, किसी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित तथा प्रशासित कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ;

(झ) "अल्पसंख्यक" से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा ऐसे रूप में घोषित समुदाय ;

(ञ) "खुली मैरिट प्रवर्ग स्थान" से अभिप्राय है, प्रबन्धन प्रवर्ग को आबंटित स्थानों के सिवाय, स्थानों का प्रवर्ग ;

(ट) "निजी तकनीकी शिक्षण संस्था" से अभिप्राय है, तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली तथा व्यक्तिक, फर्म, कम्पनी, व्यक्तियों की संगम, व्यष्टि निकाय, न्यास, सोसाइटी या किसी अन्य विधिक अस्तित्व द्वारा चलाई जा रही तथा इसमें विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित तथा निगमित कोई निजी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन परिभाषित समझा गया कोई विश्वविद्यालय भी शामिल है ;

(ठ) "अर्हता परीक्षा" से अभिप्राय है, कोई परीक्षा, जो किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए किसी छात्र के लिए पास करनी अनिवार्य है ;

(ड) "स्वीकृत भर्ती" से अभिप्राय है तथा इसमें समाविष्ट है किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में प्रत्येक तकनीकी अध्ययन पाठ्यक्रम में

छात्रों को प्रवेश पाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित स्थानों की कुल संख्या ;

(ढ) "राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्या, 19), की धारा 6 के अधीन स्थापित राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड;

(ण) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, तकनीकी शिक्षा के प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(त) "तकनीकी पाठ्यक्रम" से अभिप्राय है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय भेषजी परिषद् या वास्तुशिल्प परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त तथा विहित अध्ययन पाठ्यक्रम तथा इसमें सभी ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी शामिल हैं जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम के रूप में घोषित करे।

अध्याय II

समिति

गठन, कृत्य, शक्तियां तथा निरर्हता

समिति का गठन।

3. (1) राज्य सरकार, हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश विनियमित करने तथा शुल्क प्रभारित करने के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए समिति गठित करेगी, अर्थात् :–

(i) अध्यक्ष जो माननीय उच्चतम न्यायालय/माननीय उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी विश्वविद्यालय का पूर्व कुलपति होगा या वरिष्ठ हैसियत में लोक प्रशासन में अनुभव रखता हो ;

(ii) महानिदेशक तकनीकी शिक्षा (पदेन) सदस्य–सचिव ;

(iii) सदस्य के रूप में विख्यात चार्टर्ड एकाउंटेंट ;

(iv) सदस्य के रूप में तकनीकी शिक्षा प्रशासन में व्यापक अनुभव रखने वाला व्यक्ति ;

(v) सदस्य के रूप में अभियान्त्रिकी या प्रबन्धन में आचार्य के पद से अन्यून कोई अकादमीशियन।

अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति तथा उनके निबन्धन तथा शर्तें।

4. (1) समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) पदेन–सदस्य के सिवाय अध्यक्ष तथा सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे तथा,

त्यागपत्र या हटाए जाने या सत्तर वर्ष की आयु पूरी करने के मद्दे या अन्यथा से पूर्व कोई रिक्ति होने की दशा में, राज्य सरकार शेष पदावधि के लिए ऐसी रिक्ति भरेगी।

(3) पदेन–सदस्य से भिन्न अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।

त्याग–पत्र।

5. अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में नोटिस देते हुए अपना पद त्याग सकता है।

रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

6. समिति का कोई कृत्य या कार्यवाहियां, केवल किसी रिक्ति, या समिति के गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं समझी जाएंगी।

निरर्हताएं।

7. कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह, –

(i) निजी तकनीकी शिक्षण संस्था से सम्बद्ध हो गया है; या

(ii) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित किया गया है; या

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iv) किसी नैतिक अधमता वाले अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है।

अध्यक्ष तथा सदस्यों का हटाया जाना।

8. समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा उसकी अवधि की समाप्ति से पूर्व हटाया जा सकता है, यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है, जो सरकार की राय में समिति के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को अनुपयुक्त बनाता है :

परन्तु अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्य सरकार द्वारा सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाएगा।

समिति के सदस्यों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

9. समिति का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा कर्मचारी इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में कार्य अथवा तात्पर्यित कार्य करते समय भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45), की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझे जाएंगे।

कृत्य।

10. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, समिति, हरियाणा राज्य में निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश प्रकिया तथा शुल्क संरचना तथा उससे सम्बद्ध तथा उनसे आनुषंगिक मामलों को विनियमित करेगी।

शक्तियां।

11. (1) समिति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी,–

(i) सभी सुसंगत दस्तावेजों तथा लेखा पुस्तकों सहित ऐसी संस्था के लिए प्रस्तावित शुल्क संरचना को इसके सम्मुख रखने के लिए किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था से अपेक्षा करने;

(ii) सत्यापित करना कि क्या ऐसी संस्था द्वारा प्रस्तावित शुल्क संरचना न्यायसंगत है;

(iii) ऐसी संस्था के लिए शुल्क संरचना का अनुमोदन करना अथवा विभिन्न शुल्क का अवधारण करना, जो ऐसी संस्था द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए इसके द्वारा प्रभारित किया जाएगा :

परन्तु समिति सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क संरचना का भी अनुमोदन करेगी यदि उक्त संस्था उक्त पाठ्यक्रम के लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं कर रही है।

(2) समिति, अपनी कार्यवाहियों के संचालन के लिए इसकी अपनी प्रक्रिया बनाएगी।

(3) समिति द्वारा इस प्रकार अवधारित शुल्क संरचना तीन वर्ष की अवधि के लिए निजी तकनीकी शिक्षण संस्था पर बाध्य होगी तथा वही शुल्क आगे भी जारी रहेगा यदि निजी तकनीकी शिक्षण संस्था पुनरीक्षण के लिए समिति को पुनः प्रस्ताव नहीं करती है।

(4) समिति द्वारा अवधारित शुल्क ऐसे छात्र पर लागू होगा जिसका किसी शैक्षिक वर्ष में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश हो गया है तथा उस निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में उसके पाठ्यक्रम के पूरा होने तक उसके लिए पुनरीक्षित नहीं किया जाएगा।

(5) कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था उपधारा (1) के अधीन समिति द्वारा अवधारित शुल्क से भिन्न किसी का शुल्क प्रभार या संग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी तथा किसी शैक्षिक वर्ष में छात्र से एक अवधि शुल्क से अधिक एक बार में शुल्क संग्रहण करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगी।

जांच करने की शक्तियां।

12. (1) समिति को इस अधिनियम के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद के विचारण के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) के अधीन सिविल न्यायालय के रूप में वही शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(i) किसी साक्षी को समन करने तथा हाजिर करवाने तथा शपथ पर उसका परीक्षण करने;

(ii) किसी दस्तावेज (दस्तावेजों) का प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करने;

(iii) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; तथा

(iv) साक्षी की परीक्षा के लिए अथवा स्थानीय निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करने।

(2) ऐसी समिति के सम्मुख कोई कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या 45), की धारा 196 के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

अध्याय III

प्रवेश

प्रवेश, पात्रता, स्थानों का आबंटन, प्रवेश की रीति, प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हक मानक।

13. (1) समिति, सामूहिक प्रवेश परीक्षा में अथवा सरकार द्वारा विहित किसी अन्य ढंग द्वारा छात्र द्वारा प्राप्त मैरिट के आधार पर निजी तकनीकी शिक्षण संस्था द्वारा चलाए जा रहे तकनीकी पाठ्यक्रम में किया गया प्रवेश विनियमित करेगी।

(2) निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, अल्पसंख्यक संस्था से भिन्न निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में स्वीकृत भर्ती में से प्रबन्धन प्रवर्ग के लिए स्थानों का आबंटन कर सकती है।

(4) कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था,–

(i) सामूहिक प्रवेश परीक्षा अथवा प्रकिया जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, के आधार पर खुली मैरिट प्रवर्ग के अधीन किसी तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश करेगी; तथा

(ii) ऐसे व्यक्तियों से, जिन्होंने अर्हता परीक्षा पास कर ली है से सीधे तौर पर प्राप्त आवेदनों द्वारा तथा किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था या ऐसी संस्थाओं के तकनीकी पाठ्यक्रमों के प्रवर्ग या ऐसी संस्थाओं के प्रवर्ग के लिए परस्पर मैरिट के अवधारण या किसी अन्य ढंग जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, की पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने के बाद प्रबन्धन प्रवर्ग के अधीन स्थान के लिए प्रवेश कर सकती है।

(5) किसी छात्र को तकनीकी पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक वह राज्य सरकार द्वारा यथा विहित न्यूनतम अर्हक अंकों सहित पात्रता मानदण्ड पूर्ण नहीं करता है।

अमान्य प्रवेश।

14. किसी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था में तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रत्येक प्रवेश इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा तथा उनकी उल्लंघना में किया गया प्रत्येक प्रवेश अमान्य होगा।

स्थानों का आरक्षण।

15. राज्य सरकार, विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में स्थानों का आरक्षण करने के लिए निजी तकनीकी शिक्षण संस्था को रीति जो समय–समय पर विहित की जाए, में निदेश दे सकती है।

अध्याय IV

शुल्क नियतन

शुल्क।

16. (1) प्रत्येक निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, समिति द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के आधार पर अलग से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए इसकी शुल्क संरचना का

प्रस्ताव करेगी तथा प्रस्तावित शुल्क संरचना समिति द्वारा परीक्षित, अनुमोदित तथा विनियमित की जाएगी तथा यह ऐसी संस्था पर बाध्य होगी।

(2) विभिन्न शुल्क संरचना विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए तथा विभिन्न संस्थाओं के लिए अवधारित की जाएगी।

(3) यदि कोई निजी तकनीकी शिक्षण संस्था अपनी शुल्क संरचना का प्रस्ताव नहीं करती है, तो समिति द्वारा यथा विनिश्चित अनंतिम शुल्क संरचना ऐसी संस्था को लागू होगी।

शुल्क अवधारण हेतु घटक।

17. (1) शुल्क इस प्रकार नियत किया जाएगा ताकि आवर्ती आधारों पर शिक्षा प्रदान करने की वास्तविक लागत वसूल की जा सके। शुल्क निर्धारण करते समय, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित खर्चों को भी हिसाब में लिया जाएगा, अर्थात् :–

(क) संकाय तथा समर्थित अमले की स्थापना लागत ;

(ख) परिचालन तथा रखरखाव प्रभार;

(ग) परिषद्, सम्बद्ध विश्वविद्यालय तथा हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रभारित शुल्क;

(घ) विकास शुल्क निम्नलिखित प्रयोजनों की आपूर्ति के लिए होगा, अर्थात् :–

(i) अवसंरचना को तैयार करने तथा उन्नत करने;

(ii) संस्था के सुधार तथा विकास; तथा

(iii) छात्रों के लिए विशेष सुख–सुविधाओं;

(ङ.) अन्य विविध प्रभार जैसे छात्रावास शुल्क, मेस प्रभार तथा परिवहन प्रभार इत्यादि:

परन्तु सेवाएं तथा सुविधाएं जैसे छात्रावास, मेस तथा परिवहन बिना लाभ हानि के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएंगी।

(2) शुल्क अवधारण से पूर्व निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, उसमें पहले से ही अध्ययन कर रहे छात्रों के माता–पिता या अभिभावकों तथा प्रतिनिधियों को शुल्क अवधारण के सम्बन्ध में लिखित में उनको विचार व्यक्त करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

प्रतिव्यक्ति शुल्क का प्रतिषेध।

18. कोई भी निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, किसी छात्र अथवा उसके सम्बंधी से ऐसी संस्था में किसी तकनीकी अध्ययन पाठ्यक्रम में उसके प्रवेश या बने रहने के प्रतिफल में इसकी ओर से प्रतिव्यक्ति शुल्क प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगी या प्रभारित या संगृहीत नहीं करवाएगी।

अध्याय V

संस्था द्वारा लेखों का अनुरक्षण

लेखों का अनुरक्षण।

19. (1) प्रत्येक निजी तकनीकी शिक्षण संस्था, संगठन लाभ के लिए नहीं, अव्यवसायी संगठन को लागू लेखा सिद्धान्तों के आधार पर लेखे बनाए रखेगी अर्थात् यह लेखों के प्रोद्भवन आधार के अधीन "निधि आधारित लेखा" के लेखे रखेगी।

(2) निजी तकनीकी शिक्षण संस्था शिक्षा शुल्क की कुल राशि के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक विकास शुल्क प्रभारित नहीं कर सकती है। विकास शुल्क पूंजी प्राप्ति के रूप में समझा जाएगा तथा केवल तभी संगृहीत किया जाएगा यदि संस्था राजस्व लेखों में प्रभारित अवमूल्यन के बराबर "अवमूल्यन आरक्षित निधि" बनाए रखती है।

(3) सोसाइटी, न्यास, संगठन, व्यक्तियों का संगम, कम्पनी, फर्म या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था के स्वामित्व वाला कोई विधिक अस्तित्व से, सोसाइटी, न्यास, संगठन, व्यक्तियों का संगम, फर्म तथा संस्था जैसी भी स्थिति हो, के लिए पृथक् लेखे बनाए रखने की अपेक्षा की जाएगी। यदि, सोसाइटी, न्यास, संगठन, व्यक्तियों की संस्था, कम्पनी, फर्म या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था के स्वामित्व वाली कोई विधिक अस्तित्व, एक से अधिक संस्था चला रहा है, तो तब प्रत्येक संस्था के लिए पृथक् लेखे बनाए रखेगा।

अध्याय VI

विविध

अधिनियम का अध्यारोही प्रभावी होना।

20. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम के उपबन्धों की उल्लंघना के लिए कार्रवाई।

21. (1) जहां महानिदेशक, किसी शिकायत के प्राप्त होने पर अथवा अन्यथा, सम्यक् जांच के बाद सन्तुष्ट हो जाता है कि निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ने प्रतिव्यक्ति शुल्क या समिति द्वारा अवधारित शुल्क से अधिक शुल्क प्रभारित किया है, तो यह—

(i) सम्बन्धित संस्था को प्रतिव्यक्ति शुल्क या समिति द्वारा अवधारित शुल्क से अधिक प्रभारित शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, वापस करने के लिए निदेश दे सकता है;

(ii) यदि परिषद्/राज्य सरकार के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम से जहां छात्र अपना नाम वापस लेता है, प्रत्याहरण करने सम्बन्धित संस्था को शुल्क वापस करने के निदेश दे सकता है;

(iii) ऐसी संस्था के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार, सम्बद्ध विश्वविद्यालय या परिषद् या वैधानिक प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।

(2) कोई कार्रवाई करने या आदेश पारित करने से पूर्व, महानिदेशक निजी तकनीकी शिक्षण संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

22. (1) जहां महानिदेशक, किसी शिकायत की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से, सम्यक् जांच के बाद, सन्तुष्ट हो जाता है कि निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है या अतिक्रमण किया है, तो तब ऐसी संस्था पर पांच लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा तथा इस अधिनियम की प्रत्येक पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के लिए दस लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, जो यदि उसका भुगतान नहीं किया जाता है, तो भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगा। जुर्माने का अधिरोपण।

(2) उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन कोई कार्रवाई करने या आदेश पारित करने से पूर्व, महानिदेशक ऐसी संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

23. इस अधिनियम की धारा 21 या 22 के अधीन पारित किसी निदेश या आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति या निजी तकनीकी शिक्षण संस्था ऐसे आदेश या निदेश से तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को अपील दायर कर सकता है/सकती है। अपील।

24. किसी भी न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कृत्यों द्वारा या के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज्य सरकार समिति, महानिदेशक, या इसके अधिकारियों द्वारा की गई किसी बात, की गई किसी कार्रवाई या जारी किए गए आदेश या निदेश के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाहियों को ग्रहण करने तथा विचारण करने की अधिकारिता नहीं होगी। अधिकारिता का वर्जन।

25. राज्य सरकार, समय–समय पर इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए किसी संस्था या समिति या समिति के क्रियाकलापों से सम्बन्धित किसी अधिकारी या कर्मचारी को, जैसा वह ठीक समझे, ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों तथा संस्था या समिति या अधिकारी या कर्मचारी ऐसे निदेश द्वारा बाध्य होंगे। निदेश देने की शक्ति।

26. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

27. इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित होने वाले आदेश द्वारा जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, ऐसे उपबन्ध कर सकती है या ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

28. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए हरियाणा राज्य या राज्य सरकार या समिति के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

अधिक्रमण तथा व्यावृत्ति।

29. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से हरियाणा राज्य की अल्पसंख्यक संस्थाओं के सिवाय सभी निजी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा शुल्क विनियमन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी सभी कार्यकारी अनुदेश अधिक्रांत हो जाएंगे :

परन्तु ऐसे अधिक्रमण के होते हुए भी, अनुदेशों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी तथा तब तक लागू रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन गठित समिति उन्हें उपान्तरित नहीं करती है।

मनजीत सिंह,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।